

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 71/2023

वादी :- चन्द्राराम सीरवी पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पोल वाली •
बावडी हर्ष रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा

136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

बाबत खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती

उपस्थिति:-वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।


प्रतिवादी सं. - सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांक:- 16/10/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सेरिया आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार 1046 है। जिसे वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' से सम्बोधित किया गया है। उक्त खसरे की भूमि की खातेदारी चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1537 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार 1047 है। जिसे वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' से सम्बोधित किया गया है। उक्त खसरे की भूमि की खातेदारी चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1030 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार 1045 है। जिसे वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' से सम्बोधित किया गया है। उक्त खसरे की भूमि की खातेदारी चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों के नाम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' 'बी' 'सी' के चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों का वंशावली वृक्ष निम्नानुसार है :-

चौला वल्द भाना (फौत) 1/4 हिस्सा



सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

धूला वल्द हुकमा (फौत) 1/4 हिस्सा

मीरा
(पत्नी)फौत

पुरखाराम
(पुत्र)फौत

चन्द्राराम (पुत्र)
हिम्मताराम (पुत्र)
लीलादेवी (पुत्री)
तारादेवी (पुत्री)
नेतादेवी (पुत्री)

उम्मेद वल्द शेरा (फौत) 1/4 हिस्सा

गंगा
(पुत्री)

ढगलाई
(पुत्री)फौत

गंगा (पुत्री)
प्रभुराम (पुत्र)
भीयाराम (पुत्र)
भोलीदेवी (पुत्री)

गुदड़राम (पुत्र)
जिमनीदेवी (पुत्री)
सुगनाई (पुत्री)
सुन्दरीदेवी (पुत्री)

उरजा वल्द जेठा (फौत) 1/24 हिस्सा

मिश्रीलाल (पुत्र)

डाया वल्द धूला (फौत) 1/24 हिस्सा

पेमाराम (पुत्र)

पुरखा वल्द रावत (फौत) 1/24 हिस्सा

गोपाराम
(पुत्र)फौत

भंवरलाल
(पुत्र)

रेखा (पुत्री)

चौला वल्द हेमा (फौत) 1/8 हिस्सा

लच्छाराम
(पुत्र)फौत

मुकनाराम
(पुत्र)फौत

पुरखाराम
(पुत्र)फौत

मलाराम (पुत्र)

मांगीलाल (पत्नी)

हिम्मताराम (पुत्र)



भंवरलाल (पुत्र)
मोवनीदेवी (पुत्र)
केलीदेवी (पुत्री)
कमलादेवी (पुत्री)
सुन्दरीदेवी (पत्नी)

विद्यादेवी (पुत्री)

पानीदेवी (पुत्री)
सायरीदेवी (पत्नी)

वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' खसरा संख्या 1032 वक्त सेटलमेन्ट चौला वल्द भाना का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, धूला वल्द हुकमा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, उम्मेद वल्द शेरा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा व उरजा वल्द जेठा, डाया वल्द धूला, पुरखा वल्द रावत का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा, चौला वल्द हेमा का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा निहित व दर्ज था। जिसके सम्बंध में मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2016 की नकल वाद पत्र के साथ पेश की है। चौला वल्द भाना फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिसान गणेशराम, शेषाराम, भूराराम पिसरान चौला, दाखुड़ी पत्नी चौला का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/16-1/16-1/16-1/16 हिस्सा निहित हुआ। भूराराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 5658 द्वारा भूराराम के स्थान पर उसके वारिस मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/64-1/64-1/64-1/64 वॉ हिस्सा निहित हुआ। मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम द्वारा निहित उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा रायचन्द्रराम पुत्र पुरखाराम को बैचान कर दिया। बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 91 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता रायचन्द्रराम का नाम दर्ज किया गया। क्रेता रायचन्द्रराम द्वारा खरीदसुदा सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा पानीदेवी पत्नी कालूराम को बैचान कर दिया तथा बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 776 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता पानीदेवी का नाम दर्ज किया गया। गणेशराम पुत्र चोलाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 636 द्वारा उसके वारिसान शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम, फाऊदेवी पुत्री गणेशराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/80-1/80-1/80-1/80-1/80 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा फाऊदेवी द्वारा अपना निहित 1/80 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 662 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार हकतर्क से प्राप्त हिस्सा के आधार पर शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम को प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/64-1/64-1/64-1/64 वॉ हिस्सा निहित हुआ। धूला वल्द हुकमा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस मीरा पत्नी धूला के नाम दर्ज हुआ तथा मीरा पत्नी धूला फौत होने पर उक्त हिस्सा उनके पुत्र पुरखाराम पुत्र धूला के नाम दर्ज हुआ। पुरखा वल्द धूला भी फौत हो चुके है तथा उनके वारिस चन्द्राराम, हिम्मताराम पिसरान पुरखाराम, लीलादेवी, तारादेवी, नेतादेवी पुत्रिया पुरखाराम है जिनका फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2895 प्रक्रियाधीन है, जो स्वीकृत नहीं हुआ है क्योंकि चालु जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से पुरखाराम जी का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। मुझ वादी पुरखाराम का पुत्र हूँ। उम्मेद वल्द शेरा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस गंगा, ढगलाई पुत्रिया उम्मेद के नाम दर्ज



सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलासपुर

हुआ तथा प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा निहित हुआ। गंगा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गंगा, भोलीदेवी पुत्रिया गंगा, प्रभुराम, भीयाराम पुत्र गंगा का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में से 1/32-1/32-1/32-1/32 हिस्सा निहित हुआ। ढगलाई फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गुदड़राम पुत्र ढगलाई, जिमनाई, सुगनाई, सुन्दरीदेवी पुत्रिया ढगलाई का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में से 1/32-1/32-1/32-1/32 हिस्सा निहित हुआ। उरजा वल्द जेठा फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस मिश्रीलाल पुत्र उरजा को निहित हुआ परन्तु उरजा का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में उरजाराम का ही नाम दर्ज है। जाया वल्द धूला फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस पेमाराम पुत्र जायाराम को निहित हुआ परन्तु जाया उर्फ दामाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में दामाराम का ही नाम दर्ज है। पुरखा वल्द रावत फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस गोपाराम, भंवरलाल पिसरान पुरखाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/48-1/48 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा गोपाराम फौत होने पर गोपाराम का निहित हिस्सा उसकी पुत्री रेखा को निहित हुआ। परन्तु पुरखा वल्द रावत का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में पुरखाराम का ही नाम दर्ज है। चौला वल्द हेमा फौत होने पर उनका 1/8 वॉ हिस्सा उसके वारिस लच्छाराम, मुकनाराम, पुरखाराम पिसरान चोलाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में 1/24-1/24-1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा लच्छाराम, मुकनाराम व पुरखाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1272 द्वारा लच्छाराम के स्थान पर उसके वारिस मल्लाराम, भंवरलाल पिसरान लच्छाराम, मोहनीदेवी, केलीदेवी, कमलादेवी पुत्रिया लच्छाराम, सुन्दरीदेवी पत्नी लच्छाराम का नाम, मुकनाराम के स्थान पर उसके वारिस मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, विद्यादेवी पुत्री मुकनाराम का नाम, पुरखाराम के स्थान पर हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम, पानीदेवी पुत्री पुरखाराम, सायरीदेवी पत्नी पुरखाराम का नाम दर्ज हुआ तथा मोहनीदेवी, केलीदेवी, कमलादेवी, सुन्दरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मल्लाराम व भंवरलाल के पक्ष में, विद्यादेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मांगीलाल के पक्ष में तथा पानीदेवी, सायरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा हिम्मताराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1318 स्वीकृत किया गया। हकतर्कनामा द्वारा प्राप्त हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में मल्लाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल को 1/24 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम को 1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। मल्लाराम फौत हो चुका है तथा मल्लाराम का वारिस उसका पुत्र चन्द्राराम है परन्तु मल्लाराम का फौतेदगी म्यूटेशन नहीं होने से चालु जमाबन्दी में मल्लाराम का ही नाम दर्ज है। इस प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदार उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 1/16 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम को 1/4 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32

वाँ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वाँ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वाँ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वाँ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 1/16 वाँ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वाँ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वाँ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वाँ हिस्सा निहित हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' खसरा संख्या 1018 वक्त सेटलमेन्ट चौला वल्द भाना का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, धूला वल्द हुकमा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, उम्मेद वल्द शेरा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा व उरजा वल्द जेठा, डाया वल्द धूला, पुरखा वल्द रावत का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा, चौला वल्द हेमा का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा निहित व दर्ज था। जिसके सम्बंध में मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2016 की नकल वाद पत्र के साथ पेश की है। चौला वल्द भाना फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिसान गणेशराम, शेषाराम, भूराराम पिसरान चौला, दाखुडी पत्नी चौला का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/16- 1/16-1/16-1/16 हिस्सा निहित हुआ। भूराराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 5658 द्वारा भूराराम के स्थान पर उसके वारिस मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/64- 1/64-1/64-1/64 वाँ हिस्सा निहित हुआ। मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम द्वारा निहित उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा रायचन्द्रराम पुत्र पुरखाराम को बैचान कर दिया। बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 91 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता रायचन्द्रराम का नाम दर्ज किया गया। क्रेता रायचन्द्रराम द्वारा खरीदसुदा सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा यानि 2/48 वाँ हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा पानीदेवी पत्नी कालूराम को बैचान कर दिया तथा उसका शेष 1/48 वाँ हिस्सा रहा। बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1067 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता पानीदेवी का नाम दर्ज किया गया। गणेशराम पुत्र चोलाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 636 द्वारा, उसके वारिसान शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम, फाऊदेवी पुत्री गणेशराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/80-1/80-1/80-1/80-1/80 वाँ हिस्सा निहित हुआ तथा फाऊदेवी द्वारा अपना निहित 1/80 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 662 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार हकतर्क से प्राप्त हिस्सा के आधार पर शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम को प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/64-1/64-1/64-1/64 वाँ हिस्सा निहित हुआ तथा शेषाराम पुत्र चोला द्वारा अपना निहित 1/16 हिस्सा व दाखुडी पत्नी चोला द्वारा अपना निहित 1/16 वाँ हिस्सा यानि कुल 2/16 वाँ हिस्सा में से 2/3 वाँ हिस्सा यानि 4/48 वाँ हिस्सा कमलादेवी पत्नी मदनलाल को बैचान कर दिया तथा कमलादेवी द्वारा खरीदसुदा 4/48 वाँ हिस्सा सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम को बैचान कर दिया। बैचान के पश्चात् शेषाराम व दाखुडी का 2/16 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि 2/48 शेष रहा यानि सम्पूर्ण



वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से शेषाराम का 2/96 वॉ हिस्सा व दाखूडी का 2/96 वॉ हिस्सा शेष रहा। धूला बल्द हुकमा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस मीरा पत्नी धूला के नाम दर्ज हुआ तथा मीरा पत्नी धूला फौत होने पर उक्त हिस्सा उनके पुत्र पुरखाराम पुत्र धूलाराम के नाम दर्ज हुआ। पुरखा बल्द धूला भी फौत हो चुके है तथा उनके वारिस चन्द्राराम, हिम्मताराम पिसरान पुरखाराम, लीलादेवी, तारादेवी, नेतादेवी पुत्रिया पुरखाराम है जिनका फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2895 प्रक्रियाधीन है, जो स्वीकृत नहीं हुआ है क्योंकि चालु जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से पुरखाराम जी का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। मुझ वादी पुरखाराम का पुत्र हूँ। उम्मेद बल्द शेषा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस गंगा, ढगलाई पुत्रिया उम्मेद के नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा निहित हुआ। गंगा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गंगा, भोलीदेवी पुत्रिया गंगा, प्रभुराम, भीयाराम पुत्र गंगा का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/32- 1/32 - 1/32 -1/32 हिस्सा निहित हुआ। ढगलाई फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गुदड़राम पुत्र ढगलाई, जिमनाई, सुगनाई, सुन्दरीदेवी पुत्रिया ढगलाई का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/32-1/32-1/32-1/32 हिस्सा निहित हुआ। उरजा बल्द जेठा फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस मिश्रीलाल पुत्र उरजा को निहित हुआ परन्तु उरजा का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में उरजाराम का ही नाम दर्ज है। डाय बल्द धूला फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस पेमराम पुत्र डायाराम को निहित हुआ परन्तु डाय उर्फ दामाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में दामाराम का ही नाम दर्ज है। पुरखा बल्द रावत फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस गोपाराम, भंवरलाल पिसरान पुरखाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/48-1/48 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा गोपाराम फौत होने पर गोपाराम का निहित हिस्सा उसकी पुत्री रेखा को निहित हुआ। परन्तु पुरखा बल्द रावत का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में पुरखाराम का ही नाम दर्ज है। चौला बल्द हेमा फौत होने पर उनका 1/8 वॉ हिस्सा उसके वारिस लच्छाराम, मुकनाराम, पुरखाराम पिसरान चोलाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में 1/24-1/24-1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा लच्छाराम, मुकनाराम व पुरखाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1272 द्वारा लच्छाराम के स्थान पर उसके वारिस मल्लाराम, भंवरलाल पिसरान लच्छाराम, मोहनीदेवी, केलीदेवी, कमलादेवी पुत्रिया लच्छाराम, सुन्दरीदेवी पत्नी लच्छाराम का नाम, मुकनाराम के स्थान पर उसके वारिस मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, विद्यादेवी पुत्री मुकनाराम का नाम, पुरखाराम के स्थान पर हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम, पानीदेवी पुत्री पुरखाराम, सायरीदेवी पत्नी पुरखाराम का नाम दर्ज हुआ तथा मोहनीदेवी, केलीदेवी, कमलादेवी, सुन्दरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मल्लाराम व भंवरलाल के पक्ष में, विद्यादेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मांगीलाल के पक्ष में तथा पानीदेवी, सायरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा हिम्मताराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1318 स्वीकृत किया गया। हकतर्कनामा द्वारा प्राप्त हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में मल्लाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल को 1/24 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम को



साहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। मल्लाराम फौत हो चुका है तथा मल्लाराम का वारिस उसका पुत्र चन्द्राराम है परन्तु मल्लाराम का फौतेदगी म्यूटेशन नही होने से चालु जमाबन्दी में मल्लाराम का ही नाम दर्ज है। इस प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदार उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदडराम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 2/96 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 2/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी धूलाराम 1/4 हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम 1/48 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 2/96 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम 4/48 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' खसरा संख्या 1030 वक्त सेटलमेन्ट चौला वल्द भाना का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, धूला वल्द हुकमा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, उम्मेद वल्द शेरा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा व उरजा वल्द जेठा, डाय्या वल्द धूला, पुरखा वल्द रावत का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा, चौला वल्द हेमा का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा निहित व दर्ज था। जिसके सम्बंध में मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2016 की नकल वाद पत्र के साथ पेश की है। चौला वल्द भाना फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिसान गणेशराम, शेषाराम, भूराराम पिसरान चौला, दाखुडी पत्नी चौला का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/16-1/16-1/16-1/16 हिस्सा निहित हुआ। भूराराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 5658 द्वारा भूराराम के स्थान पर उसके वारिस मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/64-1/64-1/64-1/64 वॉ हिस्सा निहित हुआ। मुन्नीदेवी पत्नी भूराराम, सुगनीदेवी, रूपादेवी, गणकीदेवी पुत्रिया भूराराम द्वारा निहित उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा रायचन्द्रराम पुत्र पुरखाराम को बैचान कर दिया। बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 91 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता रायचन्द्रराम का नाम दर्ज किया गया। क्रेता रायचन्द्रराम द्वारा खरीदसुदा सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा पानीदेवी पत्नी कालूराम को बैचान कर दिया। बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 776 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में क्रेता पानीदेवी का नाम दर्ज किया गया। गणेशराम पुत्र चोलाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 636 द्वारा उसके वारिसान शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम, फाऊदेवी पुत्री गणेशराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ तथा प्रत्येक का वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/80-1/80-1/80-1/80-1/80 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा फाऊदेवी द्वारा



अपना निहित 1/80 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 662 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार हकतर्क से प्राप्त हिस्सा के आधार पर शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, रमेश, राकेश, डांवरराम पिसरान गणेशराम को प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/64-1/64-1/64-1/64 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा शेषाराम पुत्र चोला द्वारा अपना निहित 1/16 हिस्सा व दाखुडी पत्नी चोला द्वारा अपना निहित 1/16 वॉ हिस्सा यानि कुल 2/16 वॉ हिस्सा में से 7/8 वॉ हिस्सा यानि 14/128 वॉ हिस्सा कमलादेवी पत्नी मदनलाल को बैचान कर दिया बैचान के पश्चात् शेषाराम व दाखुडी का 2/16 हिस्से में से 1/8 हिस्सा यानि 2/128 शेष रहा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में से शेषाराम का 1/128 वॉ हिस्सा व दाखुडी का 1/28 वॉ हिस्सा शेष रहा। धूला वल्द हुकमा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस मीरा पत्नी धूला के नाम दर्ज हुआ तथा मीरा पत्नी धूला फौत होने पर उक्त हिस्सा उनके पुत्र पुरखाराम पुत्र धूलाराम के नाम दर्ज हुआ। पुरखा वल्द धूला भी फौत हो चुके हैं तथा उनके वारिस चन्द्राराम, हिम्मताराम पिसरान पुरखाराम, लीलादेवी, तारादेवी, नेतादेवी पुत्रिया पुरखाराम हैं जिनका फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2895 प्रक्रियाधीन है, जो स्वीकृत नहीं हुआ है क्योंकि चालु जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से पुरखाराम जी का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। मुझ वादी पुरखाराम का पुत्र हूँ। उम्मेद वल्द शेषा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उनका 1/4 हिस्सा उनके वारिस गंगा, ढगलाई पुत्रिया उम्मेद के नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा निहित हुआ। गंगा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गंगा, भोलीदेवी पुत्रिया गंगा, प्रभुराम, भीयाराम पुत्र गंगा का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में से 1/32-1/32-1/32-1/32 हिस्सा निहित हुआ। ढगलाई फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उसके वारिस गुदड़राम पुत्र ढगलाई, जिमनाई, सुगनाई, सुन्दरीदेवी पुत्रिया ढगलाई का नाम दर्ज हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में से 1/32-1/32-1/32-1/32 हिस्सा निहित हुआ। उरजा वल्द जेठा फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस मिश्रीलाल पुत्र उरजा को निहित हुआ परन्तु उरजा का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में उरजाराम का ही नाम दर्ज है। डाय वल्द धूला फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस पेमाराम पुत्र डायाराम को निहित हुआ परन्तु डाय उर्फ दामाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में दामाराम का ही नाम दर्ज है। पुरखा वल्द रावत फौत होने पर उनका 1/24 हिस्सा उसके वारिस गोपाराम, भंवरलाल पिसरान पुरखाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/48-1/48 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा गोपाराम फौत होने पर गोपाराम का निहित हिस्सा उसकी पुत्री रेखा को निहित हुआ। परन्तु पुरखा वल्द रावत का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं होने से चालु जमाबन्दी में पुरखाराम का ही नाम दर्ज है। चौला वल्द हेमा फौत होने पर उनका 1/8 वॉ हिस्सा उसके वारिस लच्छाराम, मुकनाराम, पुरखाराम पिसरान चोलाराम को निहित हुआ तथा प्रत्येक को वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में 1/24-1/24-1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ तथा लच्छाराम, मुकनाराम व पुरखाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1272 द्वारा लच्छाराम के स्थान पर उसके वारिस मल्लाराम, भंवरलाल पिसरान लच्छाराम, मोहनीदेवी, केलीदेवी, कमलादेवी पुत्रिया लच्छाराम, सुन्दरीदेवी पत्नी



लच्छाराम का नाम, मुकनाराम के स्थान पर उसके वारिस मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, विद्यादेवी पुत्री मुकनाराम का नाम, पुरखाराम के स्थान पर हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम, पानीदेवी पुत्री पुरखाराम, सायरीदेवी पत्नी पुरखाराम का नाम दर्ज हुआ तथा माहमोटकी, केलीदेवी, कमलादेवी, सुन्दरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मल्लाराम व भवरलाल के पक्ष में, विद्यादेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा मांगीलाल के पक्ष में तथा पानीदेवी, सायरीदेवी द्वारा अपना निहित हिस्सा हिम्मताराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा द्वारा हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1318 स्वीकृत किया गया। हकतर्कनामा द्वारा प्राप्त हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में मल्लाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भवरलाल को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल को 1/24 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम को 1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। मल्लाराम फौत ही चुका है तथा मल्लाराम का वारिस उसका पुत्र चन्द्राराम है परन्तु मल्लाराम का फौतदगी म्यूटेशन नही होने से चालु जमाबन्दी में मल्लाराम का ही नाम दर्ज है। इस प्रकार चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदार उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, कमलादेवी पत्नी मदनलाल 14/128 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 1/128 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 1/16 वॉ हिस्सा, भवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 1/128 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वॉ हिस्सा निहित हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' 'बी' 'सी' वक्त सेटलमेन्ट चौला वल्द भाना का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, धूला वल्द हुकमा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा, उम्मेद वल्द शोरा का सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्सा व उरजा वल्द जोठा, डाय वल्द धूला, पुरखा वल्द रावत का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा, चौला वल्द हेमा का 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा निहित व दर्ज था। परन्तु सेटलमेन्ट के बाद जमाबन्दी में खतौनी करते समय लिपिकीय त्रुटिवश 1/2 हिस्से में से चोलाराम पुत्र भानाराम 1/4 हिस्सा, भीरा बेवा भानाराम 1/4 हिस्सा, गंगा, ढगलाई पुत्रिया अमेदराम 1/4 हिस्सा, उरजाराम पुत्र जेठाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/4 हिस्सा दर्ज किया तथा शेष 1/2 हिस्सा चोलाराम पुत्र हेमाराम के नाम दर्ज किया। जिसके सम्बंध में जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 वाद पत्र के साथ पेश की है। इसके बाद आगे की जमाबन्दी में भी उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि लगातार दर्ज चलती रही तथा लिपिकीय त्रुटि के अनुसार ही फौतेदगी म्यूटेशन, बैचान के म्यूटेशन का इन्द्राज हुआ तथा वर्तमान चालु जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज चले आ रहे हिस्सों की इकाई एक नही होने पर चालु जमाबन्दी में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' 'बी' 'सी' में दर्ज सहखातेदारों के हिस्से नही लिखे गये, जिसकी वजह से दर्ज सहखातेदारों के फौतेदगी म्यूटेशन व अन्य अन्तरण सम्बन्धी



सहायक कलेक्टर
एवं उप सचिव अधिकारी
बिलासपुर

म्यूटेशन का इन्द्राज नहीं हो पा रहा है। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए'बी'सी' की चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के सही हिस्से वाद पत्र के पद संख्या 5 से 7 में वर्णितानुसार है। जो सही हिस्से चालु जमाबन्दी में दर्ज नहीं है, जिसकी जानकारी मुझ वादी को होने पर मुझ वादी द्वारा सही हिस्से अनुसार दुरुस्ती किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए मना कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए'बी'सी' की चालु जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के सही हिस्से वाद पत्र के पद संख्या 5 से 7 में वर्णितानुसार दुरुस्त/घोषित किये जाने हेतु वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मुझ वादी वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए'बी'सी' में दर्ज सहखातेदार पुरखाराम पुत्र धूलाराम का जायन्दा पुत्र है इसलिए मुझ वादी को प्रस्तुत वाद पेश करने का अधिकार है तथा अन्य दर्ज सह खातेदार वाद पत्र के पद संख्या 5 से 7 में वर्णितानुसार सही हिस्से दुरुस्त करवाने हेतु सहमत होने से उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है।

अतः वादी वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सेरिया की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 1/16 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम को 1/4 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 1/16 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वॉ हिस्सा दुरुस्त/घोषित किया जावे तथा उपरोक्तानुसार दुरुस्त/घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उपरोक्त सहखातेदारान के नाम से दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1537 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र



सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, मीरा पत्नी धूलाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 2/96 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 2/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी धूलाराम 1/4 हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम 1/48 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 2/96 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम 4/48 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वॉ हिस्सा दुरुस्त/घोषित किया जावे तथा उपरोक्तानुसार दुरुस्त/घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उपरोक्त सहखातेदारान के नाम से दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' खसरा संख्या 1030 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, कमलादेवी पत्नी मदनलाल, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, कमलादेवी पत्नी मदनलाल 14/128 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम को 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम को 1/128 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम को 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम को 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम को 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी को 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी को 1/32



सहायक कलेक्टर

एवं उभ खण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

वाँ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम को 1/48 वाँ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम को 1/24 वाँ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम को 1/128 वाँ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम को 1/64 वाँ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वाँ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी को 1/32 वाँ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम को 1/24 वाँ हिस्सा दुरुस्त/घोषित किया जावे तथा उपरोक्तानुसार दुरुस्त/घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उपरोक्त सहखातेदारान के नाम से दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिलाडा चक-4 द्वारा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1032, पैरा संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 1018 व पैरा संख्या 7 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1030 उपरोक्त तीनों पैरा के उक्त खसरों में वर्णित हिस्सों के अनुसार चालु जमाबंदी में दुरुस्ती किया जाना उचित बताए जाने की रिपोर्ट पेश की है। ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाडा के खसरा सं. 1032, 1018, 1030 की चालु जमाबंदी में दर्ज गलत इन्द्राज व दुरुस्त किये जाने वाले सही इन्द्राज की निम्न प्रकार है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0485 हैक्टेयर में गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वाँ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वाँ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वाँ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वाँ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वाँ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/16 वाँ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वाँ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वाँ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वाँ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वाँ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वाँ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वाँ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वाँ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वाँ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वाँ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वाँ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वाँ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/16 वाँ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वाँ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वाँ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वाँ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वाँ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1537 हैक्टेयर चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम,



सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, मीरा पत्नी धूलाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 2/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी धूलाराम 1/4 हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम 1/48 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम 4/48 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1030 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, कमलादेवी पत्नी मदनलाल, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, कमलादेवी पत्नी मदनलाल 14/128 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा चालु जमाबन्दी में दुरुस्ती किया जाना उचित है।



3
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1032, 1018, 1030 में जवाब में वर्णितानुसार सही हिस्से दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र चन्द्राराम सीरवी पुत्र स्व. पुरखाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा सं. 1032, 1018, 1030 ग्राम बिलाडा चक 4, प्रदर्श 2 मिसल बंदोबस्त खसरा सं. 1032, 1018, 1030 तथा प्रदर्श 3 वादी के आधार कार्ड ग्राम बिलाडा चक 4 के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा सं. 1032, 1018, 1030, खसरा सं. 1032, 1030, 1018 की मिसल बंदोबस्त संवत् 2016, जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, 2035 से 2038, 2044 से 2047, 2052 से 2055 के खसरा नम्बर 1018, 1032, 1030, वादी के आधार कार्ड आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के ग्राम बिलाडा चक नं. 4 के खसरा नम्बर 1018, 1032 1030 में वादी व सहखातेदारों के हिस्से चालु जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय त्रुटि के कारण सही इन्द्राज नहीं है। साथ ही भूमिधारी ने उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 4 भूमि खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0485 हैक्टेयर में गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/16 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/16 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1537 हैक्टेयर चालु



2
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, मीरा पत्नी धूलाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 2/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी धूलाराम 1/4 हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम 1/48 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम 4/48 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1030 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, कमलादेवी पत्नी मदनलाल, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, कमलादेवी पत्नी मदनलाल 14/128 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री



सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलासपुर

ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 16/10/24
जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से

MDL
(मृदुला शेखावत)
~~सहायक कलेक्टर~~
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा



MDL
(मृदुला शेखावत)
~~सहायक कलेक्टर~~
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व इजलास मुदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :- चन्द्राराम सीरवी पुत्र स्व. श्री पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पोल वाली बावडी
हर्ष रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

बाबत खातेदारी घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

राजस्व वाद संख्या :- 71/2023

निर्णय

दिनांक :- 16/10/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 4 भूमि खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0485 हैक्टेयर में गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/16 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/16 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1018 रकबा 0.1537 हैक्टेयर चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल



सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पुत्र मुकनाराम, मीरा पत्नी धूलाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 2/48 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, मीरादेवी पत्नी धूलाराम 1/4 हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, रायचन्द्र पुत्र पुरखाराम 1/48 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 2/96 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सोहनीदेवी पत्नी शेषाराम 4/48 वॉ हिस्सा व हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 1030 रकबा 0.1133 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में लिपिकीय गलती से दर्ज इन्द्राज उरजाराम पुत्र जेठाराम, कमलादेवी पत्नी मदनलाल, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी, डांवरराम पुत्र गणेशराम, दाखुडी पत्नी चौलाराम, दामाराम पुत्र धूलाराम, पुरखाराम पुत्र रावतराम, पुरखाराम पुत्र धूलाराम, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी, पानीदेवी पत्नी कालूराम, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम, भीयाराम पुत्र गंगादेवी, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी, मलाराम पुत्र लच्छाराम, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम, रमेश पुत्र गणेशराम, राकेश पुत्र गणेशराम, शेषाराम पुत्र चोलाराम, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर सही इन्द्राज/हिस्सा उरजाराम पुत्र जेठाराम 1/24 वॉ हिस्सा, कमलादेवी पत्नी मदनलाल 14/128 वॉ हिस्सा, गंगादेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, गुदड़राम पुत्र ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, जिमनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, डांवरराम पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, दाखुडी पत्नी चौलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, दामाराम पुत्र धूलाराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र रावतराम 1/24 वॉ हिस्सा, पुरखाराम पुत्र धूलाराम 1/4 हिस्सा, प्रभुराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, पानीदेवी पत्नी कालूराम 1/16 वॉ हिस्सा, भंवरलाल पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, भीयाराम पुत्र गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, भोलीदेवी पुत्री गंगादेवी 1/32 वॉ हिस्सा, मलाराम पुत्र लच्छाराम 1/48 वॉ हिस्सा, मांगीलाल पुत्र मुकनाराम 1/24 वॉ हिस्सा, रमेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, राकेश पुत्र गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, शेषाराम पुत्र चोलाराम 1/128 वॉ हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी गणेशराम 1/64 वॉ हिस्सा, सुगनाई पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, सुन्दरीदेवी पुत्री ढगलीदेवी 1/32 वॉ हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम 1/24 वॉ हिस्सा दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



(मृदुला शेखावत) 16/11/24
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



hOcl ✓
(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा